न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 70/2012–13 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम।

श्री गौतम सिंह आदि

–बनाम–

श्री पूरण सिंह कैन्तुरा आदि

उपस्थितिः श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।
अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री एस0के0 सुन्द्रियाल।

बावत
मौजा चक चौबेवाला(जौलीग्रान्ट), परगना परवादून,
तहसील ऋषिकेश, जनपद देहरादून।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्ता ने विद्वान कलेक्टर, देहरादून द्वारा वाद संख्या–25/2010–11 अन्तर्गत धारा–28 भू–राजस्व अधिनियम पूरण सिंह कैन्तुरा बनाम गौतम सिंह आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 05–07–2013 के विरूद्व योजित की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिपक्षी श्री पूरण सिंह कैन्तुरा ने वादग्रस्त भूमि के बावत मानचित्र दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 12–05–2010 अन्तर्गत धारा–28 भू–राजस्व अधिनियम कलेक्टर, देहरादून के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि उन्होंने प्रश्नगत भूमि दिनांक 21–04–96 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की जो उपनिबन्धक कार्यालय में विधिवत पंजीकृत है और वादग्रस्त भूमि पर उनका नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रार्थी पुराने बन्दोबस्ती सजरे के अनुसार सही स्थान पर काबिज था। फसली वर्ष 1400 के बन्दोबस्त के अनुसार नक्शा गलत बन गया है जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की भूमि गलत दर्शाई गई है और वादी व प्रतिवादी अपनी–अपनी भूमि पर निर्विवाद रूप से काबिज हैं। प्रतिपक्षी पूरण सिंह कैन्तुरा ने मानचित्र दुरस्ती हेतु प्रार्थना की। विद्वान कलेक्टर ने तहसीलदार, ऋषिकेश से प्रतिवादी पूरण सिंह कैन्तुरा के प्रार्थना पत्र पर जांच आख्या प्राप्त की। तहसीलदार, ऋषिकेश ने अपनी स्थलीय जांच आख्या दिनांक 03–02–2011 से मानचित्र दुरस्ती की संस्तुति की गई। विद्वान कलेक्टर, देहरादून ने पक्षकारों को सुनने एवं तहसीलदार की आख्या के आधार पर अपने निर्णयादेश दिनांक 05–07–2013 से वाद स्वीकार कर मानचित्र दुरस्ती के आदेश पारित किए गए। इस निर्णयादेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण ने यह निगरानी योजित की है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया गया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि विपक्षी पूरन सिंह कैन्तुरा ने जो प्रार्थना पत्र मानचित्र दुरस्ती हेतु दिया है उसमें बन्दोबस्त मानचित्र में कोई गलती नहीं दिखाई गई है और न यह दर्शाया गया है कि खसरा नम्बर जिनके बारे में विवाद हुआ है पुराने किन खसरा नम्बरों से बनाये गये हैं। वाद में प्रतिवादी ने न तो फर्द मुताबिक व न ही पुनरीक्षित खसरा प्रस्तुत किया। जो आधार प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये उन आधार पर धारा–28 का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। जिन खसरा नम्बरों के बारे में प्रतिवादी ने प्रश्नगत वाद योजित किया वह विभिन्न व्यक्तियों को पहले ही प्रार्थी द्वारा विक्रय किया जा चुका है और उस पर क्रेताओं का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। वादी पूरण सिंह कैन्तुरा ने खाते में दर्ज संयुक्त खातेदारों को भी वाद में पक्ष नहीं बनाया। जिनके नाम खातें में दर्ज हैं उनको सूचना नहीं दी गई है। अवर न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी ने तर्क दिया कि नायब तहसीलदार ने अपनी आख्या दिनांक 03–02–2011 में मानचित्र दुरस्ती हेतु अपनी संस्तुति दी है। प्रतिवादी के विक्रय पत्र में खसरा नम्बर व खाता संख्या आदि सब अंकित है। जिस खसरा नम्बर पर प्रार्थी पूरण सिंह का कब्जा है वह उस पर काश्त करते चले आ रहे हैं। तहसीलदार ने स्पष्ट आख्या दी है जिसके आधार पर कलेक्टर ने मानचित्र दुरस्ती के आदेश पारित किए हैं। निगरानी निरस्त होने योग्य है।

अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवर न्यायालय के समक्ष प्रतिपक्षी पूरण सिंह ने धारा–28 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि के मानचित्र के दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र पर विद्वान कलेक्टर, देहरादून ने तहसील से आख्या प्राप्त की। प्रार्थना पत्र पर नायब तहसीलदार, ऋषिकेश ने अपनी आख्या दिनांक 03–02–2011 में यह उल्लेख किया कि फसली वर्ष 1400 कें बन्दोबस्त में नक्शा गलत बनने के कारण भूमि के खसरा नम्बर–13/0.1420है0 व 14/0.1090 है0 भूमि नक्शे में गौतम सिंह आदि के नाम दर्ज हो गया, जबकि यह भूमि पूरण सिंह के कब्जे व कास्त में है और मौके पर नक्शे में अंकित रास्ते के बगल में खसरा नम्बर 52, 54 आदि गौतम आदि के कब्जे में है जो नक्शे में नीली रोशनाई से अंकित किया गया है। खसरा नम्बर15, 16 पूर्व में ही वादी के नाम दर्ज है जो नक्शे में हरे रोशनाई से अंकित है। दोनों भूमि अपने–अपने चक में अंकित हैं। दोनों भूमियों का मानचित्र में लाल व हरे रंग से अंकित किये गये है। खसरा नम्बर 13, 14 जो नक्शे में लाल रोशनाई में अंकित किये गये हैं भूमि प्रतिवादियों के नाम अंकित हो गई जिसे दुरस्त किया जाना उचित है। नायब तहसीलदार ने अपनी आख्या में मानचित्र दुरस्ती की संस्तुति की है। विद्वान कलेक्टर, देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 05–07–2013 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि 1394–1399 फसली वर्ष में खसरा नम्बर–13 व 14 पूरण सिंह आदि के नाम तथा खसरा नम्बर–15 व 16 गौतम सिंह के नाम दर्ज था। वही स्थिति 1346 फसली के मानचित्र में भी थी परन्तु 1414–1419 फसली में खसरा नम्बर13 व 14 को गौतम सिंह के नाम तथा 15 व 16 को पूरण सिंह के नाम दर्शा दिया गया जबकि

वर्तमान बन्दोबस्ती मानचित्र में खसरा नम्बर 13 व 14 को पूरण सिंह के नाम तथा खसरा नम्बर 15 व 16 को गौतम सिंह के नाम मानचित्र में प्रदर्शित किया जाना चहिए था। वर्तमान में प्रार्थी पूरण सिंह खसरा नम्बर 13 व 14 व गौतम सिंह खसरा नम्बर–15 व 16 पर काबिज हैं। इससे स्पष्ट है कि विद्वान कलेक्टर ने भली–भांति परीक्षण के पश्चात ही प्रश्नगत आदेश पारित किया है जिसमें को त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी बलयुक्त न होने के कारण अस्वीकार किए जाने योग्य है।

निगरानी बलयुक्त न होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

दिनांकः 3 जून 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।